न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 87/2018

1. श्री गोपाल पुत्र स्व. श्री कला जाति रेबारी निवासी ग्राम बाडीया किशनपुरा शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर

————प्रार्थीगण

ब ना म

1. श्रीमति रूकसाना बानो पत्नि श्री उमराव
2. श्रीमति जमीला बानो पत्नि श्री भंवर अली
   समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम बाडीया किशनुपरा शेरगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार मसूदा

——अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज. भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 04.09.2019

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा शेरगढ पटवार क्षेत्र शेरगढ तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खसरा संख्या 588 रकबा 03–08–00 बारानी 01, व 589 रकबा 00–19–10 बारानी 03, व 602 रकबा 00–03–10 गै.मु.चाह, व 603 रकबा 03–07–10 बारानी 01 भूमियां प्रार्थी की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमियों पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद का निस्तारण पूर्व में हुई सीमाकंन/पत्थरगढी से हो गया था, किन्तु प्रार्थी की नियत बद होने एवं अप्रार्थीया सं. 2 की आराजी को हड़पने की बदनियत से उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 को हैरान परेशान करने हेतु किया गया है, पहले भी सीमांकन/पत्थरगढी होने के उपरान्त भी पुनः पत्थरगढी करवाने का तथ्य छिपाकर रखा एवं माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है। प्रार्थी ने पूर्व में पत्थरगढी/सीमाकंन होने का तथ्य छिपाकर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। मौजूदा प्रकरण में तो प्रार्थी ने अन्य पड़ौसियान के खातेदार को पक्षकार बनाया ही नहीं है अतः प्रकरण चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

————लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)

बाद अवलोकन पाया कि मौजा शेरगढ पटवार क्षेत्र शेरगढ तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खसरा संख्या 588 रकबा 03–08–00 बारानी 01, व 589 रकबा 00–19–10 बारानी 03, व 602 रकबा 00–03–10 गै.मु.चाह, व 603 रकबा 03–07–10 बारानी 01 भूमियां प्रार्थी गोपाल पुत्र कला जाति रेबारी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। इसके अलावा भी स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ने भी पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत् कोई आपत्ति की है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा शेरगढ पटवार क्षेत्र शेरगढ तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खसरा संख्या 588 रकबा 03–08–00 बारानी 01, 589 रकबा 00–19–10 बारानी 03, 602 रकबा 00–03–10 गै.मु.चाह, 603 रकबा 03–07–10 बारानी 01 भूमियां का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 04.09.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.03 12:16:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: